"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2016—पौष 11, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश सिंह (Dinesh Singh) पिता स्व. हीरासिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी-केम्प-1, आदर्श नगर, वार्ड नं. 22, पंकज जनरल स्टोर्स के पास भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम दिनेश सिंह (Dinesh Singh) है किन्तु मेरे हाईस्कूल के अंकसूची में मेरा नाम स्पेलिंग त्रुटिवश DINAESH SINGH दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दिनेश सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिनेश सिंह पिता स्व. हीरासिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दिनेश सिंह (Dinaesh Singh)
पिता स्व. हीरासिंह (Heera Singh)
निवासी-केम्प-1, आदर्श नगर, वार्ड नं. 22,
पंकज जनरल स्टोर्स के पास, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दिनेश सिंह (Dinesh Singh)
पिता स्व. हीरासिंह (Heera Singh)
निवासी-केम्प-1, आदर्श नगर, वार्ड नं. 22,
पंकज जनरल स्टोर्स के पास, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साजन लाल गेण्ड्रे (Sajan Lal Gendre) पिता श्री डेरहाराम गेण्ड्रे (Derha Ram Gendre) आयु 46 वर्ष, जाति सतनामी, स्थायी निवासी-ग्राम बोटेपार, पो., थाना व तह. घुमका जिला राजनांदगांव (छ. ग.) वर्तमान निवासी क्वा. नं. 3/डी, सड़क नं. 26, सेक्टर 8, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम साजन लाल पिता श्री डेरहाराम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "गेण्ड्रे" को जोड़कर नया नाम साजन लाल गेण्ड्रे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे साजन लाल गेण्ड्रे पिता श्री डेरहाराम गेण्ड्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

साजन लाल
पिता श्री डेरहाराम
निवासी क्वा. नं. 3/डी, सड़क नं. 26,
सेक्टर 8, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

साजन लाल गेण्ड्रे
पिता श्री डेरहाराम गेण्ड्रे
निवासी क्वा. नं. 3/डी, सड़क नं. 26,
सेक्टर 8, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जमीलुनिसा बेगम (Jameelunisa Begum) पति श्री मो. सलीम, निवासी-एम. आई. जी. 2-416, हुडको, आमदी नगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति मो. सलीम के बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम जमीलूनिशा बेगम (Jamiluunisha Begum) दर्ज है. मेरे पेन कार्ड व आधार कार्ड में मेरा सही नाम जमीलुनिसा बेगम (Jameelunisa Begum) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जमीलुनिसा बेगम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे जमीलुनिसा बेगम (Jameelunisa Begum) पति श्री मो. सलीम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जमीलूनिशा बेगम (Jamiluunisha Begum)
पति मो. सलीम (Md. Salim)
निवासी-एम. आई. जी. 2-416, हुडको,
आमदी नगर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जमीलुनिसा बेगम (Jameelunisa Begum)
पति मो. सलीम (Md. Salim)
निवासी-एम. आई. जी. 2-416, हुडको,
आमदी नगर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुमन खोखर पत्नि श्री सचिन खोखर, निवासी-ई-1, इन्द्रावती परिसर, राजभवन, रायपुर (छ. ग.) की हूं. मुझे अब तक सुमन के नाम से जाना जाता था. मेरा विवाह दिनांक 16-04-2015 को श्री सचिन खोखर के साथ रीतिरिवाज के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात में अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुमन खोखर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सुमन खोखर पत्नि श्री सचिन खोखर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुमन	सुमन खोखर पत्नि श्री सचिन खोखर निवासी-ई-1, इन्द्रावती परिसर, राजभवन, रायपुर (छ. ग.)

<u>विविध</u>

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर , दिनांक 5 दिसम्बर 2015

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/629/लो. न्या./अ.वि.अ./वा-1/15.—आवेदकगण श्री जीजॉय डेनियल, संदीप कुमार नायडू, विनोद कुमार प्रजापति, पीटर तिर्की और सैमसन कुमार राय न्यासीगण द्वारा "बिलासपुर कॉनग्रिगेशन ओफ जेहोवास विटनेसेस रिलिजियस ट्रस्ट" पता जीजांय डेनियल, मोपका पेट्रोल पंप के पीछे, विवेकानंद नगर-1 मोपका, तहसील व जिला बिलासपुर छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''बिलासपुर कॉनग्रिगेशन ओफ जेहोवास विटनेसेस रिलिजियस ट्रस्ट'' जीजांय डेनियल, मोपका पेट्रोल पंप के पीछे, विवेकानंद नगर-1 मोपका, तहसील व जिला बिलासपुर छ. ग. हृदय हनुमान राम धाम सेवा ट्रस्ट, बिलासपुर
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कुरूद जिला-धमतरी

कुरूद, दिनांक 30 नवम्बर 2015

राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 ब /113/ सन् 2015-16

क्रमांक 106 (1) अविअ/वा/2015.—सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री रामेश्वर चन्द्राकर पिता लखन चन्द्राकर अध्यक्ष एवं श्री वेदनाथ चन्द्राकर पिता लक्ष्मीनारायण चन्द्राकर सचिव, श्रीराम जानकी सामुदायिक भवन न्यास चन्द्राकर समाज कुरूद जिला धमतरी ने छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत श्रीराम जानकी सामुदायिक भवन न्यास चन्द्राकर समाज कुरूद जिला धमतरी ग्राम कुरूद प. ह. नं.-35 तहसील कुरूद जिला धमतरी को सार्वजनिक न्यास पंजीयन किए जाने छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-3 (नियम (4) (2)) के अनुसरण में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है.

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार का आपत्ति हो तो दिनांक 21-12-2015 को प्रात: 11.00 बजे मेरे न्यायालय में स्वत: उपस्थित होकर अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. विलंब से प्राप्त दावा, आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 30-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

संदीप कुमार अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय लोक न्यास पंजीयक, तोकापाल, जिला बस्तर

तोकापाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

प्रारूप क्रमांक-5

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

क्रमांक/3219/अ.वि.अ. (रा.)/2015.—अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन सांई रामकृष्ण धमार्थ न्यास रायकोट, विकासखण्ड-तोकापाल,

जिला-बस्तर (छ. ग.) लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए, मैं तनुजा सलाम, लोक न्यासों का पंजीयक, तोकापाल, जिला-बस्तर मेरे न्यायालय में दिनांक 05 अक्टूबर 2015, दिन-बुधवार को, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करती हूँ.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	सांई रामकृष्ण धमार्थ न्यास रायकोट, विकासखण्ड-तोकापाल, जिला बस्तर
(2)	सांई रामकृष्ण धमार्थ न्यास, रायकोट, दरबार भवन आवासीय भवन एवं भू-भाग	:	रुपये 317000.00 (अनुमानित)
(3)	स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा जगदलपुर में जमा	:	रुपये 36903.00 (जमा)
(4)	संरक्षक के पास राशि	:	रुपये 500000.00 (फिक्स डिपाजिट)
(5)	वाहन	:	रुपये 452000.00 (आरमाड़ा)

तनुजा सलाम,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.